न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 13/2020

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 जोगाराम 2 शिवलाल पिसरान जेठाराम जाति जाट निवासी हरखोणी, गोदारों की ढाणी, पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 जेठाराम पुत्र अचलाराम जाति जाट निवासी हरखोणी गोदारों की ढाणी, पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर 2 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री श्रवण कुमार चौधरी, वकील वादी पक्ष।
2. श्री धनाराम चौधरी, वकील प्रतिवादी पक्ष।

निर्णय

दिनांक 03-9-24

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01एक ही परिवार के सदस्य है तथा रिडमलराम के वंशज है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा हरखाणी गोदारों की ढाणी पटवार क्षैत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 139 रकबा 0.17 बीघा, खसरा संख्या 140 रकबा 01.01 बीघा व खसरा संख्या 141 रकबा 311.08 बीघा कुल रकबा 313.06 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि रिडमलराम के फौतगी पर अचलाराम तथा देवाराम के हिस्से में दर्ज हुई। मौजा हरखोणी गोदारों की ढाणी पटवार क्षेत्र कवास के खसरा संख्या 793/140 रकबा 0.07 बीघा, खसरा संख्या 794/141 रकबा 66.07 बीघा कुल रकबा 66.14 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज हुई। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 जेठाराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में हिन्दु उतराधिकारा अधिनियम की धारा 06 के अनुसार जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का उक्त वादग्रस्त भूमि सहखातेदार है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रतिवादीगण एवं वकील वादीगण राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी रिडमलराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण अपना संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण को उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित कर संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वादी संख्या 01 जोगाराम द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के समर्थन में चालु जमाबन्दियां, नक्शा, नकल बन्दोबस्त तथा नामान्तकरण की प्रतियां प्रस्तुत की है, जो प्रदर्श–1 से प्रदर्श–3 है। वादी द्वारा मुख्य परीक्षण में अवगत करवाया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है तथा उक्त भूमि में वादीगण का प्रतिवादी संख्या 01 के साथ हिस्सा जन्म से निहित है, उसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 जेठाराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 प्रदर्श–03 एवं जमाबन्दी संतव 2070 से 2073, प्रदर्श–01 व नक्शा प्रदर्श–02 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा हरखोणी गोदारों की ढाणी पटवार क्षेत्र कवास के खसरा संख्या 793/140 रकबा 0.07 बीघा, खसरा संख्या 794/141 रकबा 66.07 बीघा कुल रकबा 66.14 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 जेठाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। चौसाला जमाबन्दी संवत 2070–2073 में उक्त भूमि एसबीबीजे शाखा कवास के अधीन रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहित चौहान)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 02-02-21 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर